न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः आर. के. मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 02/2017, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. **गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली उम्र 30 वर्ष निवासी मानपुर जिला दौसा।**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक –राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री महावीर डोई बहस के दौरान अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 29.06.2022

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली उम्र 30 वर्ष निवासी मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. **मु. सं. 63/13 दिनांक 14.03.2013 धारा 13 RPGO पुलिस थाना मानपुर दौसा सजा 10.04.2013**
2. **मु. सं. 107/15 दिनांक 10.05.2015 धारा 13 RPGO पुलिस थाना मानपुर दौसा सजा 18.05.2015**
3. **मु. सं. 275/15 दिनांक 26.10.2015 धारा 332, 353, 384 आई पी सी पुलिस थाना मानपुर दौसा जैर ट्रायल**
4. **मु. सं. 211/16 धारा 13 RPGO पुलिस थाना मानपुर दौसा सजा 03.09.2016**
5. **मु. सं. 23/17 दिनांक 27.01.2017 धारा 13 RPGO पुलिस थाना मानपुर दौसा सजा 03.02.2017**

उक्त शख्स कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा का रहने वाला है। जो सार्वजनिक स्थानो पर सट्टे की खाईवाली एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट तथा शांतिभंग करने का अभ्यस्थ है। जो अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगो को धमकियां देने, मारपीट करने व सम्पत्ति का नुकसान करने की चेतावनी देने व नुकसान करने का अभ्यस्थ है। उक्त शख्स के खिलाफ कोई छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने में भी लोग कतराते है। उक्त शख्स का नाम पता बताने व उसके विरूद्ध गवाह देने से लोग डरते है। गैर सायल गत छह महीने से ग्राम वासियों से लडाई झगडा व गाली गलौच कर रहा है एवं शराब पीने का आदि है। जनता में इसका भय व्याप्त है। उक्त गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल एवं अधिवक्ता गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित नहीं आये। लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति काली निवासी मानपुर जिला दौसा का रहने वाला है जो सार्वजनिक स्थानो पर सट्टे की खाईवाली एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट तथा शांति भंग करने का अभ्यस्थ है। जो अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगो को धमकिया देने मारपीट करने व सम्पत्ति का नुकसान करने का अभ्यस्थ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त शख्स मारपीट करने व सट्टेबाजी करने का आदि है व अवैध तरीके से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु लोगो को धमकाने व मारपीट करने का आदि है जो बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिससे कारण इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से भी लोग कतराते है व उसके विरूद्ध गवाह देने से भी लोग डरते है। जनता में इसका भय व्याप्त है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध थाना मानपुर में पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर विगत वर्षो में 4 अपराधों में सजा हुई है एवं एक मुकदमे में अपराध जैर ट्रायल है। गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

बहस लोक अभियोजक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में थाना मानपुर में दर्ज पांच आपराधिक मुकदमों में से चार आपराधिक मुकदमों में गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल कुन्दन पुत्र श्री इन्दर कुमार जाति कोली निवासी मानपुर जिला दौसा को दिनांक 01.07.2022 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा के रास्ते होते हुए थाना भरतपुर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र थाना भरतपुर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना भरतपुर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.27 13:08:21 IST
Reason: SelfAttested